# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 94/2018 ((225 आरटीए)) रेखाबाई बनाम गणपत वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00140)

रेखाबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी चौमहला हाल निवासी सीतामउ तहसील सीतामउ जिला मंदसौर मंध्यप्रदेश।

..... अपीलांट

बनाम

1 गणपत आत्मज फत्ता जाति चमार निवासी तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़,

2 बालूसिंह आत्मज दुलेसिंह जाति राजपूत निवासी तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़,

3 गाकलसिंह आत्मज दुलेसिंह जाति राजपूत निवासी तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़,

4 सरतानसिंह आत्मज भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़,

5 रोड़सिंह आत्मज अनारसिंह जाति राजपूत निवासी तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़,

6 पूरीबाई पुत्री जुझार जाति राजपूत निवासी तलावली तहसील गंगधार जिला झालावाड़ राजस्थान।

..... रेस्पोडेंट

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**विरुद्ध आदेश तहसीलदार गंगधार**
**दिनांक 09.07.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1/2018**

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बद्रीलाल माहेश्वरी।

2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मो. तोकीर आलम।

3 रेस्पो. सं. 2 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

## निर्णय

दिनांक 31.01.2020

1 यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार गंगधार के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1/2018 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम पेश किया है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अधीनस्थ न्यायालय

31/1/2020
अति० कलेक्टर एवम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

तहसीलदार गंगधार के समक्ष धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1/2018 अपीलान्ट्स रेखाबाई एवं अन्य बालूसिंह, गोकलसिंह, सरतानसिंह, रोडसिंह, पूरीबाई के खिलाफ दिनांक 22.05.2018 को इस आशय का पेश किया कि उसे पूर्व में 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि एलाट हुयी थी जिसका खाता नम्बर 92 है तथा खसरा नम्बर 1180 है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4 ने कब्जा कर रखा है, प्रार्थी को कब्जा दिलाया जावे। इसपर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का से वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान कब्जे की रिपोर्ट ली। दिनांक 01.06.2018 को रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई, रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ने जवाब पेश किया जिसपर पुनः पटवारी हल्का से कब्जे बाबत रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 06.06.2018 को प्राप्त हुई जिसमें विवादग्रस्त भूमि पर पूरीबाई, रेखाबाई (अपीलान्ट) एवं सरतानसिंह का कब्जा बताया गया। रेखाबाई तथा पूरीबाई को नोटिस जारी किए गये गये। अगली तारीख 20.06.2018 को पुनः रेखाबाई की तलबी का आदेश दिया गया। दिनांक 04.07.2018 को पुनः पूरीबाई व रेखाबाई को तलब करने का आदेश दिया गया। दिनांक 09.07.2018 को पूरीबाई तथा रेखाबाई (अपीलान्ट) के विरुद्ध विधि विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया जाकर बिना साक्ष्य किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार बेदखली का निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्ध है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2018 से व्यथित होकर यह अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.10.2018 को होने पर नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना एवं दिनांक 01.11.2018 को नकल प्राप्त होने एवं अपीलान्ट की तबियत खराब होने के कारण अपील दिनांक 19.11.2018 को पेश की गयी जिसे अन्दर मियाद मानी जाने का निवेदन किया है।

2 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बद्रीलाल माहेश्वरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिये एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी आदि प्रदर्शित कराये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को नोटिस की विधिवत तामील नही हुई। अपीलान्ट का पति पुलिस उप अधीक्षक के पद पर है जिसके साथ अपीलान्ट कई सालों से सीतामउ जिला मंदसौर में निवास कर रही है। अपीलान्ट के खिलाफ विधि विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है। अपीलान्ट को जो नोटिस दिनांक 20.6.2018 की पेशी हेतु दिया गया है उसके पीछे तामील कुनिन्दा ने जो रिपोर्ट की है वह गलत है उसपर दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है और न ही कोई तारीख दर्ज है। आदेशिका दिनांक 20.06.2018 में भी अपीलान्ट को पुनः तामील कराये जाने का आदेश है । अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तौर से अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की

31/1/2020
अति० कलक्टर एवम
अति०. जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

है। पटवारी ने विवादित आराजी की मौके पर जाकर किस दिनांक को पैमाईश की यह अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है और न ही यह अंकित किया है कि कितने रकबे पर अपीलान्ट, पूरीबाई एवं सरतानसिंह का कब्जा है। न ही गवाहान के नाम दर्ज है। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस में सैक्शन–5 मियाद अधिनियम के संदर्भ में निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.10.2018 को होने पर नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 01.11.2018 को नकल प्राप्त होने एवं अपीलान्ट की तबियत खराब होने के कारण अपील दिनांक 19.11.2018 को पेश की गयी जिसे अन्दर मियाद मानी जाने का निवेदन किया है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलांट ने शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलान्ट को सुनवाई का साक्ष्य एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत् निर्णय पारित करें।

4 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मो. तोकीर आलम बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया है तथा जरिये दूरभाष पर सूचित किया जाकर विधिवत निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में स्वंय का बीमार होना अंकित किया है लेकिन इसके समर्थन में कोई चिकित्सीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं होने से अपील मियाद बाहर है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में भी वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने की रिपोर्ट अंकित है। अतः अपील अपीलान्ट मैरिट पर भी खारिज की जावे।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलांट ने अपील देरी से प्रस्तुत की है एवं देरी को कंडोन करने के लिये धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.18 को किया गया जबकि अपील 19.11.2018 को पेश की है। अर्थात अपील पेश करने की अवधि से लगभग 3 महीने अपील देरी से पेश की गई है। अपीलांट ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अपील बाबत ज्ञान होने पर दिनांक 15.10.2018 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि उसे निर्णय की जानकारी किस दिनांक को हुई तथा 09.07.2018 से 15.10.2018 की अवधि में उसे निर्णय की जानकारी नहीं होने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। तथा अपीलांट द्वारा तबियत खराब होने का जो आधार बताया है वह 15.10.2018 के बाद का है। अतः इस प्रकरण देरी को कंडोन करने के लिये कोई ठोस आधार पेश नहीं किया है। अतः अपील मियाद बाहर होना प्रमाणित होती है।

8 प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने का आधार यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश बिना साक्ष्य के एवं दस्तावेज प्रदर्शित कराए बिना पारित किया हैं एवं एक तरफा कार्यवाही विधि विरुद्ध की गई है।

31/1/2020

अति० कलेक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तारीख अंकित नहीं है एवं न ही उस पर गवाहान के हस्ताक्षर है। अपील के आधार के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। यह प्रकरण धारा 183 बी का है। इसमें मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि भूमि अनुसूचित जाति के खातेदार की है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रकरण से संबंधित भूमि खसरा नं. 1180, 1180/1 रेस्पोडेंट सं. 1 गणपत लाल पुत्र फत्ता जाति चमार निवासी तलावली के नाम दर्ज है जो अनुसूचित जाति का है। धारा 183 बी के प्रकरण का निस्तारण करने के लिये कार्यवाही संक्षिप्त रूप (Summarry manner) में की जाती है। प्रकरण में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अनुसूचित जाति के खातेदार से अतिक्रमी रेखाबाई पत्नी ओमप्रकाश एवं पूरीबाई पुत्री जुझार को बेदखल कर भौतिक रूप से कब्जा रेस्पो. सं. 1 प्रार्थी गणपत पुत्र फत्ता जाति चमार निवासी तलावली को संभलाने का आदेश पारित किया है जिसमें कोई ऐसी विधिक त्रुटि नहीं है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो। जहां तक अपीलांट द्वारा जो अपील के आधार प्रस्तुत किये हैं वे मात्र तकनीकी है जिनके आधार पर अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील मैरिट पर भी स्वीकार योग्य नहीं हैं।

9 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगधार का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2018 यथावत रखा जाता है।

31/1/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

10 निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/1/2020

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़



Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2020.02.04 20:40:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: